न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

अध्यासित द्वारा :– श्री ओमप्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रार्थना सं.	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
126/21	29.12..21	19.1.22

उनवान

1. नन्दराम पुत्र मम्मन
2. नारायण पुत्र मम्मन
3. प्रहलाद पुत्र मम्मन जाति चमार निवासीयान ओदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0

वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. जयसिंह पुत्र श्री जग्गी जाति मेघवाल निवासी ओदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर
2. ग्राम पंचायत ओदरा जरियें सचिव/सरपंच ग्राम पंचाचत ओदरा पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर राज0।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण

दावा इश्तकराराहक दवामी

उपस्थिति:– 1.श्री अमर सिंह सैनी वकील प्रार्थी की ओर से
2–अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नही।

निर्णय 19.1.22

प्रार्थना पत्र के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार है:–

प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी ख0न0 838 रकबा 0.8200 हे0, 839/1019 रकबा 0.5100 हे0 किता 2 रकबा 1.3300 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर स्थित है जो आराजी विवादित कहलावेगी ।वकील वादी ने बताया कि प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई किसी प्रकार का लेना देना सम्बध वो सरोकार नही है। लेकिन प्रतिवादीगण जबरदस्ती हमारी आराजी मे निर्माण करने पर आमदा है प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 27.12.21 को विवादित आराजी मे नीव खोदकर कच्चा पकका निर्माण करने का असफल प्रयास जिस पर बडी मुश्किल से वाका टाला तो प्रतिवादीगण ने मिनवादी व तर प्रतिवादी को ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि वो मिन वादी व तर0प्रति0 को कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी मे जबरदस्ती पटवार घर, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करगें व रास्ता निकालेगें, यदि वाकई प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो मिन वादी को अजहद हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी सूरत मे रूप्यो मे आकी जा सकती, ऐसी सूरत मे मिन वादी प्रतिवादीगण को जरियें हुकइम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी हू। सुविधा का संतुलन एव नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थी/वादी है।

अतः प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण /प्रति0 को ता फैसला दावा जरियें हुकमइम्तनाई चन्दरोजा पाबन्द किया जावे कि वो आराजी ख0न0 838 रकबा 0.8200 हे0, 839/1019 रकबा 0.5100 हे0 किता 2 रकबा 1.3300 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर से वादी व तर0 प्रति0 को बेदखल नही करें, ना उनकी फसल को कोई नुकसान पहुचाये, ना विवादित आराजी का कोई जुज दबाते हुये आराजी में कोई कच्चा पक्का निर्माण

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

करें, ना आराजी मे कोई पंचायत घर, पटवार घर इत्यादि का निर्माण करे, ना ही आराजी मे कोई सडक या रास्ता निकाले, मौका एवं रिकार्ड की यथास्थित बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया प्रतिवादी ने जवाब में बताया कि ख0 न0 847 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है ख0न0 847 के दिशा उत्तर में ख0न0 848 में सें दिशा पूरब में 0.2500 हे0 भूमि ग्राम पंचायत ओदरा के भवन निर्माण हेतु राज्य सरकार से आवंटित की गई है। बाद आवंटन प्रकिया पूर्ण होने पर नक्शा में तितम्बा काटा जाकर नवीन ख0न0 1065/846 रकबा 0.2500 है0 ग्राम पंचायत ओदरा के नाम से दर्ज हो रहा है। इसी ख0न0 पर भवन निमार्ण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत ओदरा द्वारा ख0न0 838 में कोई निर्माण कार्य नही किया जा रहा है। तमाम तथ्य गलत है। वकील प्रार्थी की बहस बहस सुनी गई। तथा सरपंच ग्राम पंचायत को सुना गया

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया । पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया सरपंच ग्रम पचायत द्वारा पेश नक्शा व जवाब में आराजी 838 रकबा 0.8200 हे0, 839/1019 रकबा 0.5100 हे0 किता 2 रकबा 1.3300 वाके ग्राम ओदरा में काई निमार्ण कार्य नही किया जा रहा है। जबकि प्रार्थी द्वारा बताया है कि आराजी उक्त पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्राम पंचायत भवन का निर्माण आराजी ख0न0 1065/846 रकबा 0.2500 हे0 पर किया जा रहा है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात अनुसार आराजी विवादित हाल राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 बेहड दर्ज रिकार्ड है जिस पर प्रार्थी स्थगन आदेश चाहता है। अतः जब ग्राम पंचायत अपने जवाब में स्वीकार कर रही है कि विवादित आराजी पर कोई निमार्ण कार्य नही किया जा रहा है। अतः ग्राम पचायत के जवाब एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत नही होता ओर ना ही सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति होने वाली क्षति बहक प्रार्थी को है।

अतः आदेश है कि:—

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 212 आर0टी0एक्ट बाबत आराजी ख0न0 838 रकबा 0.8200 हे0, 839/1019 रकबा 0.5100 हे0 किता 2 रकबा 1.3300 वाके ग्राम ओदरा तहसील किशनगढबास जिला अलवर सिद्व नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

(ओम प्रकाश सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)